द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/825/2014

श्री हैरिस पीटर्स, — अपीलार्थी
राजीव गांधी चौक, जरहाभाटा,
जिला बिलासपुर, (छ0ग0)

विरूद्ध

श्री जे0एस0 गौंड़, — उत्तरवादी क्र0 01
जनसूचना अधिकारी,
छ0ग0 लोक सेवा आयोग, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)

श्री टी0एल0 यदु, — उत्तरवादी क्र0 02
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
छ0ग0 लोक सेवा आयोग, रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)

(आदेश पारित दिनांक : 08/09/2014)

यह द्वितीय अपील अपीलार्थी श्री हैरिस पीटर्स द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) के अंर्तगत (उत्तरवादी क्रमांक 01) श्री जे0एस0 गौंड़, जनसूचना अधिकारी/अवर सचिव, कार्यालय–छ0ग0 लोक सेवा आयोग, रायपुर तथा (उत्तरवादी क्रमांक 02) श्री टी0एल0 यदु, प्रथम अपीलीय अधिकारी, कार्यालय–छ0ग0 लोक सेवा आयोग, रायपुर के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण यह है कि अपीलार्थी ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.10.2013 द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 01, जनसूचना अधिकारी से 06 बिंदुओं में निम्नानुसार सूचना/जानकारी चाही थी :–

''1. निरीक्षक स्तर के अधिकारियों की पदोन्नति की क्या प्रक्रिया है।

2. क्या यह सही नहीं है कि नियमानुसार वर्ष में एक बार डी0पी0सी0 होना चाहिए।

3. निरीक्षक स्तर के अधिकारी कितने वर्षों में पदोन्नति की पात्रता रखते हैं।

4. वर्ष 2012–2013 में कब–कब डी0पी0सी0 हुई।

5. वर्ष 2012 एवं 2013 में निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के पदोन्नति बाबत् पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ रायपुर से कब कब पत्राचार किया गया।

6. वर्ष 2012 एवं 2013 में उपरोक्त संबंध में कब कब क्या कार्यवाही किया गया।''

आवेदन में लिखा था कि जानकारी मय दस्तावेज दी जाये।

इसके प्रत्युत्तर में जनसूचना अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 30.10.2013 अपीलार्थी को प्रेषित करते हुए बिंदु क्रमांक 01 से 06 के संबंध में सूचित किया कि चाही गई समस्त जानकारी प्रश्नात्मक है। जो सं. 11/2/2008–आई.आर. भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, दिनांक 10 जुलाई 2008 के तहत् प्रश्नात्मक जानकारी देने का प्रावधान नहीं है। अतः जानकारी नहीं दी जा सकती। जनसूचना अधिकारी द्वारा दिये गये विनिश्चय से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 22.11.2013 प्रस्तुत की गई। जिस पर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने जनसूचना अधिकारी द्वारा दिये गये विनिश्चय का समर्थन करते हुए

आदेश दिनांक 10.1.2014 पारित किया और अपीलार्थी की अपील निरस्त की। प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष द्वितीय अपील की गई। द्वितीय अपील आवेदन में अपीलार्थी ने लिखा है कि उनका अपील एवं आवेदन गलत तरीके से निरस्त किया गया है और भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, दिनांक 10 जुलाई 2008 का निर्वचन किया गया है। उन्होंने वांछित जानकारी दिलाने की मांग की है।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान उभयपक्षों को सुना गया। उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी का जवाब प्राप्त। जवाब के साथ सं. 11/2/2008–आई.आर. भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, दिनांक 10 जुलाई 2008 की प्रतिलिपि भी संलग्न की गई है। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी का कथन था कि वे उत्तरवादी द्वारा दिये गये जवाब से संतुष्ट नहीं है। उनके द्वारा मांगी गई जानकारी के 03 बिंदु क्रमशः 4, 5 एवं 6 प्रश्नात्मक नहीं हैं। उन्होंने आवेदन में यह भी लिखा था कि जानकारी मय दस्तावेज दी जाये। उत्तरवादी का पक्ष है कि कब कब जैसे शब्दों का प्रयोग कर सभी जानकारियां चाही गई हैं। इसलिए वांछित सूचना/जानकारी के सभी बिंदु प्रश्नात्मक हैं। तद्नुसार अपीलार्थी को सूचित किया गया था। यदि अपीलार्थी वांछित सूचना/दस्तावेजों का हवाला देकर जानकारी मांगेगा तो सूचना दे दी जायेगी।

उभयपक्षों को सुनने व सूचना/जानकारी हेतु प्रस्तुत आवेदन के अवलोकन के बाद पाया जाता है कि उत्तरवादी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का पक्ष सही है कि वांछित सूचना/जानकारी के सभी बिंदुओं में कब कब जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसका इस रूप में उत्तर देने के लिए जनसूचना अधिकारी को समाप्त नस्ती का अध्ययन कर अपना निष्कर्ष निकालकर जानकारी देनी होगी। इस प्रकार वांछित सूचना/जानकारी के सभी बिंदु प्रश्नात्मक पाये जाते हैं। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बाम्बे एट गोवा के रिट पीटिशन नं.0 419/2007 डॉ0 सेल्सा पिंटो विरूद्ध राज्य सूचना आयोग में यह पाया गया है कि ''क्यों'' जैसे प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं0 6454, **SLP(C) No. 7526/2009, Central board of secondry education & Anr. Vs Aaditya Bandopadhyaya & Ors.** में पाया गया है कि रिकार्ड में उपलब्ध जानकारी ही प्रदान की जा सकती है। किसी प्रकार का निष्कर्ष निकालकर देना अपेक्षित नहीं है। अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाई जाती। यह द्वितीय अपील अस्वीकार की जाती है।

आदेश तद्नुरूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/–
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त